

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

14.10.04

क्रमांक : एफ/8 /4/03 / सीसी/अडतीस
प्रति,

गोपाल, दिनांक 14.10.04

कुलपति
रानी दुर्गावती वि.वि., जबलपुर।

विषय :- वी. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

सन्दर्भ :- प्राचार्य सेंट एलायसिस महाविद्यालय जबलपुर का पत्र क्रमांक
SAC/B.Ed./2004-07 dated 06.09.2004

—00—

उपरोक्त विषय में प्राचार्य सेंट एलायसिस महाविद्यालय जबलपुर द्वारा सत्र 2004-05 से वी. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संस्था को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक डब्ल्यूआरसी/2-32/60/2004/3897 दि. 10.6.04 द्वारा वी. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सत्र 2004-05 के लिए 100 सीटों के साथ अनुमति प्रदान की है। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग, ने अपने पत्र क्रमांक एफ 73/24/20-2/03 गोपाल दिनांक 5.4.03 द्वारा सत्र 2004-05 से वी. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति पत्र प्रदान किया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर एवं जबलपुर में सत्र 2004-05 से वी. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का होगा।

यह औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा संबंधिता प्रदान करने की स्थिति में प्रभावशील/लागू होगी भविष्य में इसे पूर्वादाहरण नहीं माना जाएगा। किसी भी तरह की गलत जानकारी के लिए संस्था के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।

(डा. एस.के. पारे)

उपसचिव,

1235, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक : एफ/8 /4/03 / सीसी/अडतीस गोपाल, दिनांक 14.10.04
प्रतिलिपि :-

1. संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, श्यामला हिल्स, गोपाल।
2. अति. संचालक, उच्च शिक्षा शाखा-13 रातपुडा भवन, गोपाल।
3. प्राचार्य सेंट एलायसिस महाविद्यालय जबलपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।



उपसचिव,

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग